न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 55/2021

शीर्षक

1 मीरा देवी पत्नि श्री अर्जुनलाल
2.संतोष देवी पत्नि श्री हजारी लाल
जाति जाट नि. नटवाडियों की ढाणी शाहपुरा तह. शाहपुरा जिला जयपुर। वादीगण

बनाम

1राजेन्द्र कुमार पुत्र डालूराम
2 प्रकाश पुत्र सुवाराम
3. मुकेश पुत्र सुवाराम
4 सुरजी पत्नि सुवाराम
} जाति जाट निवासी शाहपुरा जिला जयपुर

5 पिन्टू पुत्री सुवाराम पत्नि जगदीश
6 मिश्री देवी पुत्री सुवाराम पत्नि शिवसहाय
जाति जाट निवासी कांट तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
7. माया पुत्री सुवाराम पत्नि हंसराज जाट जाति जाट निवासी जाजैकलां तहसील शाहपुरा
8. नगरपालिका शाहपुरा जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका शाहपुरा जिला जयपुर
9. उप पंजीयक उप पंजीयक कार्यालय शाहपुरा
10 पटवारी पटवार हल्का शाहपुरा ए तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 24/02/24

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश किया गया कि हाल आराजी खसरा नं0 3822 रकबा 0.21 है0 मय दीगर आराजी ख0नं0 3825 रकबा 0.01 है0, 3826 रकबा 0.01 है0 कुल किता 3 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा में स्थित है जिसकी पूर्व में खातेदारी जमाबन्दी सं0 2064–67 मे प्रतिवादी सं0 1 के पिता डालूराम व प्रतिवादी सं0 2 से 7 के पिता व पति सुवाराम के राम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है । वादीगण ने उक्त खातेदार डालूराम व सुवाराम पिता खांगाराम जाति जाट निवासी शाहपुरा से उनकी उक्त खातेदारी भूमि में से ख0नं0 3822 रकबा 0.21 है0 भूमि को जरिये रजिस्ट्रड विकय पत्र दिनांक 13.5.2009 को प्रतिफल राशि अदा कर खरीद की व काबिज रहकर काश्त व उसका उपयोग व उपभोग करती आ रही है।उक्त खातेदारान द्वारा व उनके वारिसान प्रतिवादी सं0 1 से 7 का उक्त भूमि में कोई सम्बन्ध अधिकार व कब्जा नहीं रहा है एवं न ही वर्तमान में है। वादीगण ने उक्त खरीद शुदा का राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने हेतु विकय पत्र की फोटो प्रति प्रतिवादी सं0 10 को दे दी व प्रतिवादी सं0 10 ने वादीगण को भूमि नाम दर्ज करने का आश्वासन दिया । खातेदार डालूराम की दिनांक 5.2.2011 को मृत्यु हो गयी तथा प्रतिवादी सं0 1 ने उपरोक्त भूमि के 1/2 भाग की खातेदारी अन्य भूमि के साथ डालूराम के नाम अंकित होने से अपनी माता श्रीमति मांगी देवी, बहन कमली देवी, सुशीला देवी, मीरा देवी, धोलीदेवी , सन्तोषदेवी से अपने पक्ष में दिनांक 11.11.21011 को हक त्याग पत्र बिना किसी हक अधिकार के करवाकर अन्य भूमि के साथ हाल ख0नं0 3822 रकबा 0.21 है0 के 1/2 भाग की खातेदारी जरिये ना0सं0 2389 दिनांक 25.11.2011 को अपने अकेले के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली जो कि गलत है , तथा खातेदार सुवाराम भी फौत हो गया प्रतिवादी सं0 2 से 4 उसके पुत्र, पत्नि व पुत्रिया है, जो उसके विधिक वारिसान व उत्तराधिकारी है। तत्पश्चात वादीगण की बिना जानकारी के उपरोक्त भूमि हाल ख0नं0 3822 मय दीगर अन्य आराजी खातेदारी का नामान्तकरण सं0 2552 दिनांक 7.3.2013 के द्वारा प्रतिवादी सं0 8 नगरपालिका शाहपुरा के नाम दर्ज हो गयी जो कि गलत है, हॉल ख0नं0 3822 है0 पर वादीगण खरीद के समय से काबिज रहकर काश्त व उसका बिना किसी बाधा के पूर्ण रूप से उपयोग व उपभोग करती आ रही है। वादीगण ने उक्त आराजी की राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाने पर उपरोक्त भूमि में विवादित आराजी 3822 भी नगरपालिका के नाम दर्ज होने की जानकारी होने पर वादीगण ने प्रतिवादी सं01 ने सहवन से अन्य भूमि के साथ उक्त भूमि के 1/2 भाग की खातेदारी राजस्व कर्मचारियों के द्वारा उसके नाम होने व उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध अधिकार व कब्जा नहीं होने बाबत कथन किया व इस संबंध में दिनांक 9.8.2021 को 500 /– रूटाम्प व एक

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

सादा कागज पर इकरारनामा लिख कर दिया । वादीगण ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में व नगरपालिका शाहपुरा के रिकार्ड में वादीगण के नाम इन्द्राज करवाने हेतु प्रतिवादीगण से कई बार कहने पर उनके द्वारा टालमटोल करने व वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड व नगरपालिका शाहपुरा के रिकार्ड में इन्द्राज नहीं करवाने से वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ जो कि क्षेत्राधिकार में होने से पेश किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गए। प्रतिवादी सं0 1 से 4 की ओर से श्री दीपक शर्मा अधिवक्ता ने अण्डर टेकिंग पेश की तथा दिनांक 5.10.2021 को प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली प्रशसन गांवो के संग अभियान मनोहरपुर में तारीख पेशी नीयत करने हेतु पेश किया जिस पर पत्रावली अभियान में सुनवाई हेतु रखने पर वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 पे उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया । प्रतिवादी सं0 5 से 11 की तामिल हो चुकी है लेकिन उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन करने पर पाया गया कि विवादित आराजी ख0नं0 3822 रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम शाहपुरा का वादीगण को प्रतिवादी सं01 के पिता डालूराम व प्रतिवादी सं0 2 से 7 के पिता/पति सुवाराम ने जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से बेचान किया गया है तथा डालूराम की पत्नि व पुत्रियों के द्वारा प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में हकत्याग भी किया गया है। प्रतिवादीगण ने अपनी अन्य दीगर भूमि के साथ विवादित आराजी जो कि वादीगण को विक्रय की जा चुकी थी का भी विरासत का नामान्तकरण प्रतिवादी सं0 1 ने अपने नाम खुलवा लिया जबकि उक्त भूमि वादीगण को पूर्व खातेदार द्वारा ही विक्रय की जा चुकी थी । इसके पश्चात नामान्तकरण सं0 2552 दिनांक 7.3.2013 के द्वारा उक्त सम्पूर्ण भूमि नगरपालिका के नाम दर्ज हो गई । इस प्रकार वादीगण की उक्त खरीद शुदा भूमि में राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण को पट्टा आदि प्राप्त करने में तथा प्रतिवादीगण द्वारा पट्टा स्वंय लेने या अन्य दीगर को देने आदि कई शंका प्रश्नागत आराजी में होना सम्भावित है। प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1 से 4 के द्वारा राजीनामा पेश किया गया है जिसमें भी वादपत्र में अंकित समस्त तथ्य उभय पक्ष ने स्वीकार किया है। अर्थात विवादित आराजी का पूर्व खातेदारान द्वारा वादीगण को विक्रय करना व उनका कब्जा होना साबित होता है। केवल राजस्व कर्मचारियों के द्वारा विक्रय पत्र का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होने से वादीगण को अपने खातेदारी हक हकूको से प्रभावित होना साबित होता है।प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण के द्वारा राजीनामा भी पेश कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा नगरपालिका शाहपुरा के रिकार्ड में नाम दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया है।

अतः दावा वादीगण के हक में मुताबिक राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 3822 रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा का वादीगण संख्या 1 से 2 को काश्तकार घोषित किया जाता है चूंकि भूमि नगरपालिका के नाम दर्ज होने से भूमि यथावत नगरपालिका के नाम रहेगी लेकिन नगरपालिका के द्वारा पट्टा सम्बन्धी कार्यवाही में प्रतिवादी के स्थान पर वादीगण सं0 1 व 2 की भूमि मानकर कार्यवाही की जावेगी । प्रतिवादीगण 1 से 7 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 22/10/21..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 55 / 2021

शीर्षक

1 मीरा देवी पत्नि श्री अर्जुनलाल
2.संतोष देवी पत्नि श्री हजारी लाल
जाति जाट नि. नटवाडियों की ढाणी शाहपुरा तह. शाहपुरा जिला जयपुर। वादीगण

बनाम

1राजेन्द्र कुमार पुत्र डालूराम
2 प्रकाश पुत्र सुवाराम
3. मुकेश पुत्र सुवाराम
4 सुरजी पत्नि सुवाराम
} जाति जाट निवासी शाहपुरा जिला जयपुर

5 पिन्टू पुत्री सुवाराम पत्नि जगदीश
6 मिश्री देवी पुत्री सुवाराम पत्नि शिवसहाय
जाति जाट निवासी कांट तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
7. माया पुत्री सुवाराम पत्नि हंसराज जाट जाति जाट निवासी जाजैकलां तहसील शाहपुरा
8. नगरपालिका शाहपुरा जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका शाहपुरा जिला जयपुर
9. उप पंजीयक उप पंजीयक कार्यालय शाहपुरा
10 पटवारी पटवार हल्का शाहपुरा ए तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 22/10/21

अतः दावा वादीगण के हक में मुताबिक राजीनामा के अनुसार डिकी किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 3822 रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा का वादीगण संख्या 1 से 2 को काश्तकार घोषित किया जाता है चूंकि भूमि नगरपालिका के नाम दर्ज होने से भूमि यथावत नगरपालिका के नाम रहेगी लेकिन नगरपालिका के द्वारा पट्टा सम्बन्धी कार्यवाही में प्रतिवादी के स्थान पर वादीगण सं0 1 व 2 की भूमि मानकर कार्यवाही की जावेगी । प्रतिवादीगण 1 से 7 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें ।
निर्णय आज तारीख 22/10/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस		आदेशिका की तामील	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		कमिश्नर की फीस	
6. कमिश्नर की फीस			
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	